

बिहार सरकार
कृषि विभाग।

पत्र संख्या-पी0पी0एम0-41/2016- 3665 /कृ0, पटना, दिनांक 22 अगस्त, 2016
प्रेषक

रामजी सिंह
सरकार के विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप से परामर्शित। द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)

विषय : कृषि रोड मैप के अधीन गेहूँ की उत्पादकता में बढ़ोतरी के लिये वर्ष 2016-17 में जिनो टिलेज विधि का प्रत्यक्षण एवं संबंधित मदों के लिये राज्य योजना के अंतर्गत 1657.60 लाख रुपये (सोलह करोड़ सन्तावन लाख साठ हजार) की लागत से योजना कार्यान्वयन तथा इसके अधीन अनुसूचित जन जाति वर्ग के लाभुकों के लिये 33.152 लाख (तेतीस लाख पन्द्रह हजार दो सौ) रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश - स्वीकृत।

निदेशानुसार कृषि रोड मैप के अधीन गेहूँ की उत्पादकता में बढ़ोतरी के लिये वर्ष 2016-17 में जिनो टिलेज विधि का प्रत्यक्षण एवं संबंधित मदों के लिये राज्य योजना के अंतर्गत 1657.60 लाख रुपये (सोलह करोड़ सन्तावन लाख साठ हजार) की लागत से योजना कार्यान्वयन तथा इसके अधीन अनुसूचित जन जाति वर्ग के लाभुकों के लिये 33.152 लाख (तेतीस लाख पन्द्रह हजार दो सौ) रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में गेहूँ की उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि करना है। गेहूँ की उत्पादकता को बढ़ाने में जिनो टिलेज विधि का उपयोग काफी प्रभावकारी सिद्ध हुआ है। इस कार्यक्रम के फलस्वरूप पंक्ति में बुआई को बढ़ावा मिलेगा तथा लागत कम होगी। इससे गेहूँ की उपज बढ़ेगी एवं किसानों के शुद्ध आय में वृद्धि होगी।

3. इस योजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2016-17 के रबी मौसम में किया जायेगा। राज्य योजना के अंतर्गत इस योजना से कुल 56000 (छप्पन हजार) एकड़ में सभी जिलों में जिनो टिलेज तकनीक का गेहूँ फसल में प्रत्यक्षण आयोजित किया जायेगा (जिलावार भौतिक एवं वित्तीय आकार अनुसूची-1 पर अनुलग्न)।

4. वर्ष 2016-17 में राज्य योजना अंतर्गत जिनो टिलेज तकनीक का गेहूँ फसल में प्रत्यक्षण कुल 56000 एकड़ में 1657.60 लाख रुपये (सोलह करोड़ सन्तावन लाख साठ हजार) की लागत से कार्यान्वित किया जायेगा।

5. राज्य योजना के अंतर्गत प्रस्तावित प्रत्यक्षण कार्यक्रम का कार्यान्वयन एजेंसी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला कृषि पदाधिकारी होंगे। कृषि निदेशक, बिहार, पटना इस योजना के सर्वोच्च नियंत्रि पदाधिकारी होंगे।

6. इस योजना मद की राशि सभी जिला कृषि पदाधिकारी को जिलावार निर्धारित लक्ष्य के अनुसार आवंटित की जायेगी तथा इसकी निकासी जिला कोषागार से की जायेगी। आवंटित राशि की निकासी एवं व्यय की पूर्ण जबाबदेही संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी की होगी।

7. जिन जिलों में जिरो टिलेज प्रत्यक्षण कार्यक्रम राज्य योजना एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दोनों योजना के अंतर्गत आयोजित किया जायेगा, वहाँ पंचायतों का निर्धारण योजनावार अलग-अलग किया जायेगा। अर्थात् जिन पंचायतों में राज्य योजना अंतर्गत प्रत्यक्षण आयोजित किया जायेगा वहाँ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अंतर्गत प्रत्यक्षण आयोजित नहीं किया जायेगा।

8. प्रत्यक्षण कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर राशि व्यय विभागीय ईकाई लागत समिति द्वारा निर्धारित 2960 रुपये प्रति एकड़ की दर से किया जायेगा। इसके अंतर्गत किसानों को उपादान क्रय पर अधिकतम अनुदान सहायता 2640 रुपये प्रति एकड़ की दर से की जायेगी।

9. किसानों द्वारा उपादानों का क्रय विभागीय ईकाई लागत समिति द्वारा निर्धारित प्रत्यक्षण मॉडल के अनुसार किया जायेगा। उक्त प्रत्यक्षण कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु प्रत्यक्षण मॉडल का निर्धारण निम्न प्रकार किया गया है ::

जिरो टिलेज तकनीक से गेहूँ फसल प्रत्यक्षण का मॉडल

प्रति एकड़

क्र० सं०	प्रयोग	उपादान	मात्रा / रकवा	अधिकतम अनुदान सहायता राशि (रु० में)
1	बीज बुवाई	प्रमाणित बीज	40 कि०ग्रा०	1280.00
2	बीज उपचार	कारबेन्डाजिम 50% WP	50 ग्राम	30.00
3	खरपतवार नियंत्रण	मेटा सल्फयूरान मिथाइल 5% WG + सल्फो सल्फयूरान 75% WG + सरफेक्टेन्ट या कलोडिनोफाप प्रोपारजिल 15 WP या मेटा सल्फयूरान मिथाइल 20% WP या सल्फयूरान 75% WDG या 24डी सोडियम सॉल्ट 80% WP	16 ग्राम + 500 मि०ली० 160 ग्राम 8 ग्राम 12 ग्राम 400 ग्राम	470.00
4	सूक्ष्म पोषक तत्व नियंत्रण (मिट्टी हेतु)	बोरॉन (10.5%)	2 कि०ग्रा०	200.00
5	यंत्र का भाड़ा	जिरो टिलेज यंत्र	एक एकड़	660.00
6	कुल उपादान			2640.00
7	प्रचार प्रसार आदि	क्षेत्र दिवस का आयोजन प्रचार-प्रसार सामग्री का वितरण वैज्ञानिक/ पदाधिकारी का क्षेत्र भ्रमण।		100.00 100.00 120.00
	कुल योग			2960.00

क्षेत्र दिवस का आयोजन, प्रचार-प्रसार आदि एवं वैज्ञानिक /पदाधिकारी के क्षेत्र भ्रमण मद में कुल 320.00 रुपये प्रति एकड़ की दर से राशि व्यय अनुमान्य होगा।

प्रत्येक 10 एकड़ पर, एक प्रत्यक्षण का फसल कटनी प्रयोग एवं इसके साथ एक कंट्रोल प्लॉट का फसल कटनी प्रयोग सुनिश्चित किया जायेगा। फसल कटनी प्रयोग क्षेत्र दिवस के अवसर पर संबंधित मद की राशि से सम्पादित किया जा सकता है जिसमें स्थानीय पदाधिकारी, जन प्रतिनिधि तथा अन्य गैर प्रत्यक्षण कृषक को शामिल किया जायेगा। इस अवसर पर उपस्थित किसानों को प्रचार-प्रसार सामग्री भी वितरित किया जायेगा।

10. वैसे इच्छुक एवं चयनित किसान जिनके पास जिरो टिलेज यंत्र उपलब्ध नहीं है उन्हें प्रत्यक्षण में भाड़ा पर यंत्र के उपयोग हेतु 660 रुपये प्रति एकड़ की दर से अधिकतम अनुदान अनुमान्य होगा। जिरो टिलेज यंत्र धारक कृषक को इस योजना से लाभान्वित नहीं किया जायेगा।

11. इस कार्यक्रम में किसानों को विभाग द्वारा निर्धारित उपादान मॉडल के अधार पर शिविर में उपादान क्रय के विरुद्ध उसके वास्तविक मूल्य की राशि अथवा अधिकतम अनुदान सहायता राशि जो कम हो देय होगा। यह सहायता तभी अनुमान्य किया जायेगा, जब किसान कृषि विभाग द्वारा निर्धारित उपादान मॉडल के अनुसार शत प्रतिशत उपादानों की खरीद प्रखंड स्तरीय आयोजित उपादान वितरण शिविर में करेंगे। शिविर के बाहर क्रय किये गये उपादान पर अनुदान अनुमान्य नहीं होगा। किसान अपनी पसंद से प्रखंड स्तरीय उपादान वितरण शिविर में उपलब्ध अनुज्ञप्तिधारी एवं अधिकृत विक्रेता से उपादान खरीद के लिये स्वतंत्र होंगे। भारत सरकार/सेट्रल इनसेक्टिसाइड बोर्ड के द्वारा अनुशसित रसायन में से किसी भी रसायन की खरीद किसान अपनी पसंद से कर सकेंगे। विभाग द्वारा यह प्रयास किया जायेगा कि प्रखंड स्तरीय आयोजित शिविर में अधिक से अधिक गुणवत्ता वाले उत्पाद तथा अनुज्ञप्तिधारी/ अधिकृत विक्रेता उपलब्ध हों। इस योजना में उन्हीं किसानों को आर्थिक सहायता दी जायेगी, जिन्हे वर्ष 2014-15 तथा वर्ष 2015-16 में इस कार्यक्रम के लिये सहायता नहीं दी गयी है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित कृषकों को उपादान उपलब्ध कराने के लिये प्रखंड स्तरीय उपादान वितरण शिविर का आयोजन किया जायेगा।

12. प्रखंड कृषि पदाधिकारी/प्राधिकृत पदाधिकारी शिविर समापन के पश्चात संबंधित लाभान्वित कृषकों की वितरण सूची एवं अभिश्रव/विपत्र जिला कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। जिला कृषि पदाधिकारी प्राप्त वितरण सूची/अभिश्रव के आधार पर कोषागार से राशि की निकासी कर संबंधित प्रखंड कृषि पदाधिकारी को प्रखंड स्तरीय आत्मा के बैंक खाते में उपलब्ध करायेंगे। तदोपरांत प्रखंड कृषि पदाधिकारी संबंधित किसानों को सीधे उनके बैंक खाते में आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से देय राशि उपलब्ध करायेंगे। प्रचार-प्रसार सामग्री वितरण तथा वैज्ञानिक/पदाधिकारी के क्षेत्र भ्रमण मद की राशि का व्यय जिला कृषि पदाधिकारी के स्तर से किया जा सकेगा।

13. योजना के प्रभावी एवं सफल कार्यान्वयन हेतु विभिन्न स्तर पर पदाधिकारियों/कर्मों द्वारा निम्न प्रकार निर्धारित लक्ष्य के अनुसार प्रत्यक्षण कार्यक्रम का पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जायेगा।

- I. कृषि समन्वयक एवं किसान सलाहकार द्वारा अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आयोजित प्रत्यक्षण कार्यक्रम का शत-प्रतिशत पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जायेगा।
- II. प्रखंड कृषि पदाधिकारी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी एवं प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) के द्वारा अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आयोजित प्रत्यक्षण कार्यक्रम का क्रमशः 25%, 10%, 5% एवं 1% पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जायेगा।
- III. परियोजना निदेशक, आत्मा एवं बामेती, पटना द्वारा क्रमशः जिला एवं राज्य स्तर पर प्रत्यक्षण कार्यक्रम का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले कृषक अथवा कृषक समूह का सफलता की कहानी तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
- IV. जिला एवं प्रमंडल स्तर पर पौधा संरक्षण पदाधिकारियों द्वारा प्रत्यक्षण स्थल का सतत भ्रमण कर फसल की स्थिति से क्रमशः जिला कृषि पदाधिकारी एवं प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) को अवगत कराया जायेगा।
- V. प्रखंड कृषि पदाधिकारी/कृषि समन्वयक प्रत्येक प्रत्यक्षण स्थल पर कृषि विज्ञान केन्द्र से समन्वय स्थापित कर विशेषज्ञों का नियमित रूप से स्थल भ्रमण एवं पर्यवेक्षण सुनिश्चित करायेंगे।
- VI. बामेती, पटना द्वारा इस योजना के प्रभाव का **Concurrent Evaluation** स्वतंत्र एजेंसी का चयन कर सुनिश्चित करायेंगे।

14. प्रत्यक्षण समूह (क्लस्टर) में आयोजित किया जायेगा जिसका न्यूनतम रकवा बीस एकड़ का होगा। एक कृषक को अधिकतम एक एकड़ तथा न्यूनतम 0.25 एकड़ के लिये प्रत्यक्षण का लाभ दिया जायेगा। बीस एकड़ का क्लस्टर प्रत्यक्षण किसी एक चयनित ग्राम में किया जायेगा।

15. इस योजना अंतर्गत उपादानों का वितरण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रखंड स्तरीय आयोजित शिविर में कार्यान्वित किया जायेगा। शिविर में प्रत्यक्ष मॉडल एवं प्रखंडवार लक्ष्य के अनुसार गुणवत्तायुक्त उपादानों की व्यवस्था की पूर्ण जबाबदेही जिला कृषि पदाधिकारी की होगी।

16. जो भूस्वामी स्वयं खेती नहीं करते हैं उन्हें इस कार्यक्रम से लाभान्वित नहीं किया जायेगा। उक्त के आलोक में किसानों के चयन की पूरी जवाबदेही किसान सलाहकार की होगी। भूमीहीन जोतदार कृषक को भी इस कार्यक्रम का लाभ दिया जा सकेगा।

17. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति वर्ग के कृषकों हेतु आरक्षित प्रतिशत का शत-प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिये ठोस प्रयास किये जायेंगे तथा लक्ष्य से अधिक माँग होने पर इन्हें चयन में प्राथमिकता दी जायेगी।

18. कृषक मजदूर को भी प्रशिक्षण देने का व्यवस्था किया जायेगा। कार्यक्रम का लाभ लेने के लिये प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। चयनित किसानों की सूची उपादान वितरण से एक सप्ताह पूर्व पंचायत कार्यालय एवं प्रखंड कार्यालय में प्रदर्शित किया जायेगा। साथ ही कृषि विभाग के वेबसाईट पर भी अपलोड किया जायेगा। उपादान वितरण के पश्चात् लाभान्वितों की सूची विहित प्रपत्र में कृषि विभाग के वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा।

19. वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान योजना के उद्व्यय में वृद्धि होने की स्थिति में विभाग द्वारा भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य इस प्रस्ताव में सन्निहित दिशा निर्देशों के आलोक में बढ़ाया जा सकेगा।

20. योजना का कार्यान्वयन कृषि विभाग द्वारा निर्धारित कार्यान्वयन अनुदेश के आलोक में किया जायेगा। वर्ष 2014-15 में इस योजना के लिये निर्गत कार्यान्वयन अनुदेश वर्ष 2016-17 के लिये भी प्रभावी होगा तथा प्रशासी विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार इसमें संशोधन/समावेश किया जा सकेगा।

21. योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी कृषि निदेशक होंगे। प्रशासी विभाग द्वारा वित्तीय सीमा के अंतर्गत आवश्यकतानुसार भौतिक लक्ष्य में परिवर्तन किया जा सकेगा।

22. स्वीकृत राशि 33.152 लाख रू० (तैतीस लाख पन्द्रह हजार दो सौ) की निकारी मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-माँग संख्या-01 उप शीर्ष-0134-इनटेनसिफायड फिल्ड डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना विषय शीर्ष-3301-सब्सिडी विपत्र कोड- P2401007960134 राज्य योजना स्कीम कोड-AGR5022 अंतर्गत वर्ष 2016-17 में उपबंधित 80.00 लाख (अस्सी लाख) रूपये से विकलनीय होगा।


23. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.3.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या-96 वि० (2) दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में विभागीय स्थायी वित्त समिति की स्वीकृति दिनांक 01.07.2016 को प्राप्त है। तत्संबंधी स्वीकृति संचिका संख्या- पी०पी०एम०-41/2016 के पृ०सं०-39/प० पर प्राप्त है।

24. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

25. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- पी०पी०एम०-41/2016 के पृ०सं०- 23/टि० पर दिनांक 11.08.2016 को प्राप्त है।



बिहार राज्यपाल के आदेश से,



(रामजी सिंह)

सरकार के विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

